न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20 / 2018 फोरलेन

उनवान

कालू मोहम्मद पिता नजीर खां जी पठान निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर जिला–भीलवाड़ा 2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक (NHAI) 6–ए–1 , आर.सी.व्यास कोलोनी भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 G (7) एवं 3 H राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :– श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से ।
श्री दिनेशचंद्र बापना विभागीय अधिवक्ता – विपक्षी सं. 2 की ओर से

आदेश

दिनांक :–10.3.2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (7) एवं 3 एच राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम नजीर खां जी पठान है, किन्तु भूलवश आदेश एवं अवार्ड में उसके पिता का नाम नूर खां लिख दिया गया है जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (राजसमन्द–भीलवाड़ा सेक्शन) के 4 लेन निर्माण आदि के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा की गयी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–जी के तहत प्रार्थी के अधिकार आधिपत्य की ग्राम सहाड़ा में स्थित भूमि आराजी नं. 3476 अवाप्त करने का आदेश क्रमांक भूमि अवाप्ति / 4लेन / 2014 / प्रतिकर निर्धारण / 55 दिनांक 21–8–2017 को सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा) द्वारा पारित किया गया जिसका अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–जी एवं Section 24 of RFCTLARR Act 2013 to acquisition under NH Act , 1956 के तहत दिनांक 21.08.2017 को पारित किया गया जिसमें प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का 31,61,308 / – रूपये अक्षरे इगतीस लाख इगसठ हजार तीन सौ आठ रूपये मुआवजा तय किया जाकर उसका भुगतान प्रार्थी को करने का अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थी की उक्त अवाप्त की गयी भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गयी है और उन्होंने इस अवाप्तशुदा भूमि को अपने कब्जे में लेकर इस पर फोरलेन का निर्माण कर लिया है। उक्त अवार्ड राशि जो कि दिनांक 21.08.2017 के आदेश द्वारा प्रार्थी को दिये जाने का आदेश पारित किया गया था जिसका भुगतान अभी तक प्रार्थी को नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी के पिता का नाम नूर खां के बजाय नजीर खां पठान दुरूस्त किया जाकर श्रीमान् सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा के परियोजना अधिकारी को उक्त अवार्ड राशि 31,61,308 / – रूपये अक्षरे इगतीस लाख इगसठ हजार तीन सौ आठ रूपये व उस पर ताअदायगी तक का ब्याज व सोलेशियम राशि का भुगतान प्रार्थी को करने हेतु निर्देशित किया जावें ।

जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर) भीलवाड़ा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन जाहिर आया कि ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 3476 पर निर्मित संरचना के संबंध में दो भिन्न–भिन्न अवार्ड जारी कर दिये गये हैं जिसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि निर्माण संरचना किसकी है। इस बारे में स्पष्टीकरण बाबत् जांच करने व हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में नवीन अवार्ड जारी करने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराये जाने में उभयपक्ष अधिवक्ता भी सहमत है।

आदेश

अतः सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा पारित अवार्ड अंतर्गत धारा 3 जी एवं section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to acqisition under NH Act, 1956 अवार्ड क्रमांक भूमिअवाप्ति / 4लेन / 2017 / प्रतिकरनिर्धा0 / 55 दिनांक 21.08.2017 एवं 1956 अवार्ड क्रमांक भूमिअवाप्ति / 4लेन / 2017 / प्रतिकरनिर्धा0 / 43–45 दिनांक 04.10.2018 को खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को यह मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सहाड़ा में स्थित आराजी संख्या 3476 पर निर्मित संरचना के बारे में जो दो भिन्न–भिन्न अवार्ड, अवार्ड सं. 55 दिनांक 21.08.2017 एवं अवार्ड संख्या 43–45 दिनांक 04.10.2018 जारी किये गये हैं उनको समेकित कर उसके बारे में पूरी जांच की जावे कि संरचना किस व्यक्ति की है। यह सुनिश्चित करने पर ग्राम सहाड़ा की आराजी सं. 3476 पर निर्मित संरचना के बारे में नवीन अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में जारी करे और प्रतिकर राशि और उस पर नियमानुसार देय लाभ का भुगतान यह पत्रावली प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में हितबद्ध व्यक्ति को किया जाना सुनिश्चित करें। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक १०-३-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा) द्वारा पारित किया गया जिसका